न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

अपील सं0 132/2017

1. मै0 श्री ओमप्रकाश जाट उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत ढण्ड (शीशवाडा) जरिये ओमप्रकाश पुत्र श्री चिरंजीलाल जाति जाट निवासी ग्राम ढण्ड (शीशवाडा) तहसील महवा जिला दौसा।

..अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकरी दौसा जिला दौसा

..रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 09.10.2017 द्वारा जिला रसद अधिकारी, दौसा अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 42/2017 उनवानी प्रकरण राज्य सरकार बनाम मै0 ओमप्रकाश

उपस्थितः 1.श्री रिद्धिचन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 28.01.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 09.10.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि प्रवर्तन अधिकारी महवा द्वारा जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत शीशवाडा में एफ पी एस डीलर ओमप्रकाश जाट की पत्र क्रमांक शिकायत/2016/3682 दिनांक 16.12.2016 में जांच के तथ्य इस प्रकार है कि राशन कार्ड संख्या 200003166050 धांधूराम पुत्र चौथी वगै0 सभी अन्त्योदय पर अप्रेल 16 के पश्चात् आज तक मांगने पर भी चयनितों का मिलने वाली रियायती दर का गेहूँ चीनी केरोसीन नहीं दिया है। केवल 14148 पर अक्टूबर 16 का गेहूँ व सितम्बर 16 का केरोसीन दिया है जो गम्भीर अनियमितता है। इसी प्रकार सामान्य (एपीएल) एनएफएसए राशन कार्डो पर पिछले कई महिनों से राशन नही दी गई है तथा मांगने पर रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस पर अपीलांट को दिनांक 23.02.2017 को कारण बताओं नोटिस दिया गया। अपीलांट ने दिनांक 14.03.2017 को हाजिर होकर जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में कारण बताओ नोटिस में दर्ज राशन कार्ड संख्या मेंसे 3166050, 00786, 166063, 00889 राशन कार्ड डिलीट किये जा चुके है व राशन कार्ड धारक 0848, 624148 मेरे यहां माल लेने नहीं आते है एवं 00847 राशन कार्ड को सही करवाकर ले गया है एवं माल ले रहा है तथा 00755, 00765 सामग्री लेने नहीं आते हैं। 00781, 56766 को पिछले माह सामग्री दी

गई है तथा राशन कार्ड संख्या 00750 व 0567 बन्द आ रहे है। प्रवर्तन निरीक्षक जवाब देहन्दा के घर पर रात्रि 8:00 बजे जांच करने आया था। प्रार्थी ने बोर्ड पर स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन कर रखा था। प्रार्थी ने अटैचमैन्टधारी डीलर को मशीन सहित स्टॉक सम्भला दिया था तथा प्रार्थी की 5 माह पूर्व सप्लाई चालू हुई है जो प्रार्थी द्वारा पॉश मशीन उपलब्ध करवा दी गई है। जिसमें समस्त डाटा उपलब्ध है। वास्तविकता में राजनैतिक द्वेषता के कारण डीलर श्यामसिंह का भाई जो कि प्रेरक पद पर है वह लोगों को उकसाता है। इसके बावजूद उक्त जवाब व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बताये गये तथ्यों की अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच नहीं की। बल्कि सरसरी तौर पर बिना जांच किये ही आरबीट्रेरी तरीके से आदेश पारित कर दिये। प्रथम दृष्टया अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार के अनियमितता के साक्ष्य नहीं है। अपीलांट ने प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। अपीलांट के विरूद्ध जिन जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड नम्बरों के संबंध में राशन सामग्री नहीं दिया जाने का विवरण आरोप पत्र में दिया गया है उनमें से अधिकांश राशन कार्ड डिलीट हो चुके है। जिनमें सम्पत्ति/भरोसी, विज्जो हरिजन, नथोली/मूल्या, विष्णु कुमार, धान्धूराम आदि के राशन कार्ड डिलीट हो चुके है। मोलीलाल अपीलांट से द्वेषता है इस वजह से सामान लेने नहीं आता है तथा जतन कुम्हार का राशन कार्ड डिलीट था सही होते ही उसे माह जनवरी 2018 में खाद्य सामग्री की आपूर्ति की गई है। गफूर खां की कोई शिकायत नहीं है क्योंकि गफूर खां की जगह उसका लडका हैदर सामाना लेता है। अरविन्द और मुकेश कुमार की भी कोई शिकायत नहीं है। उन्हें भी लगातार सामग्री दी जा रही है। अपीलांट के विरूद्ध जिस समयावधि का स्टॉक रजिस्टर लिया गया है व आरोप लगाया गया है उस समय अपीलांट का स्टॉक सही पाया गया है। उसमें कोई कमी बेशी नहीं है तथा जो थोडी बहुत कमी दो तीन किलो सामग्री की है वह छीजत में चली जाती है जो विभागीय नियमानुसार मान्य है। पूर्व में भी प्रार्थी के विरूद्ध झूंठी शिकायत की गई थी, जिसमें प्रार्थी का प्राधिकार पत्र शिकायत झंठी पाये जाने पर बहाल किया गया था। वास्तविक तथ्य यह है कि श्यामसिंह जो कि एफपीएस डीलर है उसका एक भाई ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव है जो अपने भाई के प्रभाव में समस्त ग्राम पंचायत का राशन वितरण करना चाहता है। इसलिए आये दिन प्रार्थी की झूंठी शिकायत करता रहता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.10.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि दिनांक 03.02.2017 को उचित मूल्य दुकानदार श्री ओमप्रकाश जाट की जांच कर जांच रिपोर्ठ 21.02.217 को जिला रसद अधिकारी दौसा के कार्यालय में पेश की गई। जिस पर कार्यालय आदेश क्रमांक 475 दिनांक 22.02.2017 द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए अग्रिम आदेशों के लिए निलम्ति किया गया तथा डीलर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कारण बताओं नोटिस क्रमांक 513 दिनांक 23.02.2017 जारी किया गया। जांच में निम्न अनियमितताऐं पायी गई:–

1. राशन कार्ड संख्या 200003166050 धांधूराम/ चौथी 0848 भगवती हरिजन/ कालू 00876 विष्णु कुमार /प्यारो 000847 जनत कुमार/ किशनलाल 614148 मोतीलाल/ रामसिंह (सभी बीपीएल) 166063 नथोली जाटव/मूला जाटव/ 000888 विज्जो हरिजन, 4038 सम्पति/मनोहरी 000889 जगदीश/भगवती (सभी अन्त्योदय) पर अप्रेल 16 व उसके बाद आज तक मांगने पर भी अत्यन्त गरीब चयनितों को मिलने वाला रियायती दर का गेहूॅं, चीनी व केरोसीन तेल नहीं दिया है। सिवाय 14148 पर अक्टूबर का गेहूं व सितम्बर 16 का केरोसीन दिया है, उसके बाद नहीं दिया गया।
2. सामान्य (एपीएल) एनएफएसए राशन कार्ड संख्या 000755 हेमन्त कुमार 00549 गफूर खां/ नवाब 00765 विजेन्द्र सिंह 00781 मुहिम कुमार 56766 अरविन्द देयवाल 00750 सुरेन्द्र कुमार 0567 के राशन कार्डों पर नही दी गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. उचित मूल्य दुकानदार से मांगने पर गत एक वर्ष का स्टॉक व वितरण सम्बन्धी रिकार्ड जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ओर न ही मासिक रिटर्न की प्रति प्रस्तुत की गई।
4. दुकान के नोटिस बोर्ड पर मूल्य स्टॉक का प्रदर्शन नहीं किया पाया गया।
5. उचित मूल्य दुकारदार के विरूद्ध राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर बार–बार शिकायत प्राप्त हो रही है पिछली बार जब उचित मूल्य दुकानदार को निलम्बित किया गया उस समय काफी मात्रा में केरोसीन तेल व अन्य सामग्री स्टॉक में शेष बची थी। जिसको नियमानुसार सम्बन्धितों को वितरण हेतु अटैचमेन्ट वाले उचित मूल्य दुकानदार को देनी चाहिए थी, परन्तु वह सामग्री अटैचमेन्ट वाले डीलर को नहीं दी गई।
6. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार किया जाना जांच में पाया गया।

प्रार्थी के विरूद्ध अनियमितता के कोई साक्ष्य नहीं होने का कथन पूर्णतया असत्य, अतार्किक व मनगढंत है। पत्रावली में अंकित तथ्यों के अनुसार डीलर के विरूद्ध गम्भीर अनियमितताऐं पाई गई है। राशन कार्ड डिलीट होने की बात गलत है। धांधूराम का राशन कार्ड संख्या 200003166050 चालू है। पत्रावली में संलग्न जांच रिपोर्ट के मुताबिक भगवती हरिजन 0848, विष्णु कुमार 0878, जनत कुमार 0847, मोतीलाल 4148, को अप्रेल 2016 के बाद से जांच तक गेहूँ नहीं दिया गया है। इसी प्रकार नथोली, विज्जों, सम्पत्ति, जगदीश अन्त्योदय उपभोक्ताओं को भी नियमित सामग्री नहीं देना पाया गया है। डीलर द्वारा पिछले एक साल रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं सम्पर्क पोर्टल पर बार–बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। जांच में उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,3,5,7, 8,10,11 व 14 खाद्य सुरक्षा अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.10.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री समय पर वितरण नहीं किया जाना, जांच हेतु रिकार्ड चाहे जाने पर प्रस्तुत नहीं करना, मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं करना एवं उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार करने सम्बन्धित अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official